

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL
BENCH, NEW DELHI**

O.A. No. 130 OF 2025

IN THE MATTER OF: -

Varun Gulati

...Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh & Others

...Respondents

NDOH – 28.01.2026

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Additional affidavit on behalf of the Respondent No. 2 Uttar Pradesh Pollution Control Board	1-2
2.	ANNEXURE U2/1 (COLLY) A true copy of the water sample reports	3-18
3.	ANNEXURE U2/2 (COLLY) A true copy of the there ports pertaining of the calculation of environmental compensation of such violating units	19-51

Uttar Pradesh Pollution Control Board

Through



AMIT SHUKLA

Advocate for the UPPCB

Office at : D- 54, Sector – 48, Noida – 201303

Email: amit.shukla@lexweb.in

Ph. No. +91 9999933220; 9999333220

Place: New Delhi

Date: 24.01.2026

1

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No. 130 of 2025

IN THE MATTER OF:

Varun Gulati

..... Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors.

..... Respondents

ADDITIONAL AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE RESPONDENT

NO. 2 UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

I, D.K Gupta, S/o Sri Bibhuti Prasad Gupta, aged about 58 years, presently posted as the Regional Officer, Moradabad, Uttar Pradesh Pollution Control Board at Lucknow do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That in the official capacity mentioned above, I am acquainted with the facts and circumstances of the case and as such I am competent and authorized to swear this affidavit.

That the Hon'ble Tribunal has vide its order dated 06.11.2025 directed as under:

4. *The UPPCB is directed to verify the violations which are mentioned in these reports and file the calculation of environment compensation on the basis of the nature of the activity and days of violation. UP PCB is further directed to collect samples from drains, Mahishmati River and ground water and get the analysis done for relevant parameters and file the reply.*



4. That in compliance of the order dated 06.11.2025, the Respondent collected the water samples from stipulated locations.
A true copy of the water sample reports is annexed herewith and marked as **Annexure U2/1 (Colly)**.
5. That the UPPCB conducted the inspection of 11 units and passed closure orders. A true copy of there ports pertaining to the calculation of environmental compensation on such violating units is annexed herewith and marked as **Annexure U2/2 (Colly)**.
6. That the contents of the Affidavit are true and correct and nothing material has been concealed thereof.



[Handwritten signature]

DEPONENT

VERIFICATION:

Verified at Moradabad on this the 24th day of January, 2026 that the contents of above affidavit are true and correct to my knowledge based on records and information received and believed to be true, no part of it is false and nothing material has been concealed there from.

Solemnly affirmed before me by D.K. Gupta
 who is identified by Sri/mt. K.M.
 Clerk of Sri/mt. K.M. on 24/01/2026
 I have satisfied my staff after examining the deponent
 That he/she understood the contents of the affidavit and the
 same has been read over & explained by me
 Revd. Rs. _____ as fees
D.K. Gupta
 D.K. Gupta
 Notary Public
 Moradabad
24/01/2026

[Handwritten signature]

DEPONENT



REGIONAL LABORATORY MORADABAD
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
 1-A/I.N.S.-1, Avas Vikas Colony, Buddha Vihar, Delhi Road, Moradabad

TEST REPORT: WATER LABORATORY(SURFACE WATER)

Ref no-34977666/Moradabad/2026

Date:13/01/2026

- 1- **Sample Location:** NAGAR PALIKA DRAIN CHAUDHARY SARAI CHARA MANDI SAMBHAL
- 2- **District:** Sambhal
- 3- **Address:** NAGAR PALIKA DRAIN CHAUDHARY SARAI CHARA MANDI SAMBHAL
- 4- **Sample Source:** Drain
- 5- **Type of sample:** Surface Water
- 6- **Sample Collected By:** Anil Kumar Vishwakarma, SA, Rajendra Lal , JLA
- 7- **Odour:** None
- 8- **Quantity and Packing:** 2 liter
- 9- **Date of Sample Collection:** 19/12/2025
- 10- **Analysis Indented by:** RO Moradabad
- 11- **Date of sample receipt in Lab:** 19/12/2025
- 12- **Period of Analysis:** From : 19/12/2025, To : 24/12/2025
- 13- **ULR Number :** --
- 14- **Sampling Plan/Ref. No. :** 34977666
- 15- **Sampling Method Ref. :** APHA 24th Edition 2023- 1060 A, B, C, Page No.- 42- 52, Collection & Preservation of Samples.

S.N.	Parameter	Unit	Results	Detection Range
1	pH, at 25 °C APHA24th Ed.4500-B: 2023	-	8.01	02-12
2	Colour, APHA 24th Ed. 2120B: 2023	Hazen	Blackish	5-10000 Hazen
3	Suspended Solids , APHA 24th Ed. 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 °C 2023	mg/l	285.0	5.0 -10000 mg/l
4	BOD, 3 days at 27 °C IS 3025 (Part 44): 1993	mg/l	85.0	1.0 -1000 mg/l
5	COD, APHA 24th Ed. 5220 B Open Reflux Method 2023	mg/l	288.0	4.0 -1000 mg/l
6	D.O. , APHA 24th Ed. 4500-OB Iodometric Method 2023	mg/l	0.0	0.2-14.0 mg/l

*Non-NABL Parameters.

Note : 1. The results in the Test Report relate only to the items tested. 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab

Remark:* - NA

Analysed by
[Sonam Chauhan(JRF)]

Authorized by
 Anil Kumar
 Vishwakarma
 Anil Vishwakarma (SA)

Digitally signed by Anil Kumar Vishwakarma
 Date: 2026.01.13
 18:30:09 +05'30'

**Deoku
 mar
 Gupta**
 Regional Officer

Digitally signed
 by Deokumar
 Gupta
 Date: 2026.01.13
 18:35:34 +05'30'

Water Quality Criteria

Designated-Best-Use	Class of water	Criteria
Drinking Water Source without conventional treatment but after disinfection	A	Total Coliforms Organism MPN/100ml shall be 50 or less pH between 6.5 and 8.5 Dissolved Oxygen 6mg/l or more Biochemical Oxygen Demand 5 days 20 °C 2mg/l or less
Outdoor bathing (Organised)	B	Total Coliforms Organism MPN/100ml shall be 500 or less pH between 6.5 and 8.5 Dissolved Oxygen 5mg/l or more Biochemical Oxygen Demand 5 days 20 °C 3mg/l or less
Drinking water source after conventional treatment and disinfection	C	Total coliforms Organism MPN/100ml shall be 5000 or less pH between 6 to 9 Dissolved Oxygen 4mg/l or more Biochemical Oxygen Demand 5 days 20 °C 3mg/l or less
Propagation of Wild life and Fisheries	D	pH between 6.5 to 8.5 Dissolved Oxygen 4mg/l or more Free Ammonia (as N) 1.2 mg/l or less
Irrigation, Industrial Cooling, Controlled Waste disposal	E	pH between 6.0 to 8.5 Electrical Conductivity at 25 °C micro mhos/cm Max. 2250 Sodium absorption Ratio Max. 26 Boron Max. 2mg/l

Source: <http://www.cpcb.nic.in/wqstandards/>



REGIONAL LABORATORY MORADABAD
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
 1-A/I.N.S.-1, Avas Vikas Colony, Buddha Vihar, Delhi Road, Moradabad

TEST REPORT: WATER LABORATORY(SURFACE WATER)

Ref no-34977681/Moradabad/2026

Date:13/01/2026

- 1- **Sample Location:** NAGAR PALIKA DRAIN NEAR CHAUDHARY SARAI ROAD SAMBHAL
- 2- **District:** Sambhal
- 3- **Address:** NAGAR PALIKA DRAIN NEAR CHAUDHARY SARAI ROAD SAMBHAL
- 4- **Sample Source:** Drain
- 5- **Type of sample:** Surface Water
- 6- **Sample Collected By:** Anil Kumar Vishwakarma, SA, Rajendra Lal , JLA
- 7- **Odour:** None
- 8- **Quantity and Packing:** 2 liter
- 9- **Date of Sample Collection:** 19/12/2025
- 10- **Analysis Indented by:** RO Moradabad
- 11- **Date of sample receipt in Lab:** 19/12/2025
- 12- **Period of Analysis :** From : 19/12/2025, To : 24/12/2025
- 13- **ULR Number :** --
- 14- **Sampling Plan/Ref. No. :** 34977681
- 15- **Sampling Method Ref. :** APHA 24th Edition 2023- 1060 A, B, C, Page No.- 42- 52, Collection & Preservation of Samples.

S.N.	Parameter	Unit	Results	Detection Range
1	pH, at 25 °C APHA24th Ed.4500-B: 2023	-	7.99	02-12
2	Colour, APHA 24th Ed. 2120B: 2023	Hazen	Blackish	5-10000 Hazen
3	Suspended Solids , APHA 24th Ed. 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 °C 2023	mg/l	279.0	5.0 -10000 mg/l
4	BOD, 3 days at 27 °C IS 3025 (Part 44): 1993	mg/l	80.0	1.0 -1000 mg/l
5	COD, APHA 24th Ed. 5220 B Open Reflux Method 2023	mg/l	272.0	4.0 -1000 mg/l
6	D.O. , APHA 24th Ed. 4500-OB Iodometric Method 2023	mg/l	0.0	0.2-14.0 mg/l

*Non-NABL Parameters.

Note 1 The results in the Test Report relate only to the items tested. 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab

Remark:* - NA

Analysed by
[Sonam Chauhan(JRF)]

Authorized by
Anil Kumar Digitally signed by Anil
Kumar Vishwakarma
Date: 2026.01.13
18:28:31 +05'30'
Vishwakarma
Anil Vishwakarma (SA)

Deoku Digitally signed
by Deokumar
Gupta
Date: 2026.01.13
18:36:16 +05'30'
mar
Gupta
Regional Officer

Water Quality Criteria

Designated-Best-Use	Class of water	Criteria
Drinking Water Source without conventional treatment but after disinfection	A	Total Coliforms Organism MPN/100ml shall be 50 or less pH between 6.5 and 8.5 Dissolved Oxygen 6mg/l or more Biochemical Oxygen Demand 5 days 20 °C 2mg/l or less
Outdoor bathing (Organised)	B	Total Coliforms Organism MPN/100ml shall be 500 or less pH between 6.5 and 8.5 Dissolved Oxygen 5mg/l or more Biochemical Oxygen Demand 5 days 20 °C 3mg/l or less
Drinking water source after conventional treatment and disinfection	C	Total coliforms Organism MPN/100ml shall be 5000 or less pH between 6 to 9 Dissolved Oxygen 4mg/l or more Biochemical Oxygen Demand 5 days 20 °C 3mg/l or less
Propagation of Wild life and Fisheries	D	pH between 6.5 to 8.5 Dissolved Oxygen 4mg/l or more Free Ammonia (as N) 1.2 mg/l or less
Irrigation, Industrial Cooling, Controlled Waste disposal	E	pH between 6.0 to 8.5 Electrical Conductivity at 25 °C micro mhos/cm Max. 2150 Sodium absorption Ratio Max. 26 Boron Max. 2mg/l

Source: <http://www.cpcb.ni.in/wqstandards/>



REGIONAL LABORATORY MORADABAD
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
 1-A/I.N.S.-1, Avas Vikas Colony, Buddha Vihar, Delhi Road, Moradabad

TEST REPORT: WATER LABORATORY(SURFACE WATER)

Ref no-34977660/Moradabad/2026

Date:13/01/2026

- 1- **Sample Location:** POND NEAR VILLAGE TURTIPUR ILLAH SAMBHAL
- 2- **District:** Sambhal
- 3- **Address:** TURTIPUR ILLAH SAMBHAL
- 4- **Sample Source:** Pond
- 5- **Type of sample :** Surface Water
- 6- **Sample Collected By :** Anil Kumar Vishwakarma, SA, Rajendra Lal , JLA
- 7- **Odour :** None
- 8- **Quantity and Packing:** 2 liter
- 9- **Date of Sample Collection:** 19/12/2025
- 10- **Analysis Indented by:** RO Moradabad
- 11- **Date of sample receipt in Lab:** 19/12/2025
- 12- **Period of Analysis :** From : 19/12/2025, To : 24/12/2025
- 13- **ULR Number :** --
- 14- **Sampling Plan/Ref. No. :** 34977660
- 15- **Sampling Method Ref. :** APHA 24th Edition 2023- 1060 A, B, C, Page No.- 42- 52, Collection & Preservation of Samples.

S.N.	Parameter	Unit	Results	Detection Range
1	pH, at 25 °C APHA24th Ed.4500-B: 2023	-	7.82	02-12
2	Turbidity, APHA24th Ed 2130B	N.T.U	10.4	1-500NTU
3	Colour, APHA 24th Ed. 2120B: 2023	Hazen	Turbid	5-10000 Hazen
4	Suspended Solids , APHA 24th Ed. 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 °C 2023	mg/l	46.0	5.0 -10000 mg/l
5	Dissolved Solids, APHA 24th Ed. 2540 C Total Dissolved Solids dried at 180 °C 2023	mg/l	980.0	5.0 -10000 mg/l
6	BOD, 3 days at 27 °C IS 3025 (Part 44): 1993	mg/l	24.0	1.0 -1000 mg/l
7	COD, APHA 24th Ed. 5220 B Open Reflux Method 2023	mg/l	160.0	4.0 -1000 mg/l
8	D.O. , APHA 24th Ed. 4500-OB Iodometric Method 2023	mg/l	2.8	0.2-14.0 mg/l

*Non-NABL Parameters.

Note : 1. The results in the Test Report relate only to the items tested. 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab

Remark:* - NA

Analysed by
[Rajni Raj(JRF)]

Authorized by
Anil Kumar
Vishwakarma
Anil Vishwakarma (SA)

Digitally signed by Anil
Kumar Vishwakarma
Date: 2026.01.13
18:31:57 +05'30'

Deoku
mar
Gupta
Regional Officer

Digitally signed
by Deokumar
Gupta
Date:
2026.01.13
18:34:02 +05'30'

Water Quality Criteria

Designated-Best-Use	Class of water	Criteria
Drinking Water Source without conventional treatment but after disinfection	A	Total Coliforms Organism MPN/100ml shall be 50 or less pH between 6.5 and 8.5 Dissolved Oxygen 6mg/l or more Biochemical Oxygen Demand 5 days 20 °C 2mg/l or less
Outdoor bathing (Organised)	B	Total Coliforms Organism MPN/100ml shall be 500 or less pH between 6.5 and 8.5 Dissolved Oxygen 5mg/l or more Biochemical Oxygen Demand 5 days 20 °C 3mg/l or less
Drinking water source after conventional treatment and disinfection	C	Total coliforms Organism MPN/100ml shall be 5000 or less pH between 6 to 9 Dissolved Oxygen 4mg/l or more Biochemical Oxygen Demand 5 days 20 °C 3mg/l or less
Propagation of Wild life and Fisheries	D	pH between 6.5 to 8.5 Dissolved Oxygen 4mg/l or more Free Ammonia (as N) 1.2 mg/l or less
Irrigation, Industrial Cooling, Controlled Waste disposal	E	pH between 6.0 to 8.5 Electrical Conductivity at 25 °C micro mhos/cm Max. 2250 Sodium absorption Ratio Max. 26 Boron Max. 2mg/l

Source: <http://www.cpcb.nic.in/wqstandards/>



REGIONAL LABORATORY MORADABAD
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
 I-A/I.N.S.-1, Avas Vikas Colony, Buddha Vihar, Delhi Road, Moradabad

TEST REPORT: WATER LABORATORY(SURFACE WATER)

Date: 13/01/2026

Ref no-34956370/Moradabad/2026

- 1- Sample Location: MAHESHMATI RIVER DOWNSTREAM VILLAGE MANDI KISANDAS SARAI SAMBHAL
- 2- District: Sambhal
- 3- Address: VILLAGE MANDI KISANDAS SARAI SAMBHAL
- 4- Sample Source: River
- 5- Type of sample : Surface Water
- 6- Sample Collected By : Anil Kumar SA, Rajendra Lal , JLA
- 7- Odour : None
- 8- Quantity and Packing : 2 Ltr.
- 9- Date of Sample Collection : 19/12/2025
- 10- Analysis Indented by : RO Moradabad
- 11- Date of sample receipt in Lab : 19/12/2025
- 12- Period of Analysis : From : 19/12/2025, To : 24/12/2025
- 13- ULR Number : --
- 14- Sampling Plan/Ref. No. : 34956370
- 15- Sampling Method Ref. : APHA 24th Edition 2023- 1060 A, B, C, Page No.- 42- 52, Collection & Preservation of Samples.

S.N.	Parameter	Unit	Results	Detection Range
1	pH, at 25 °C APHA24th Ed.4500-B: 2023	-	8.64	02-12
2	Colour, APHA 24th Ed. 2120B: 2023	Hazen	Blackish	5-10000 Hazen
3	Suspended Solids , APHA 24th Ed. 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 °C 2023	mg/l	62.0	5.0 -10000 mg/l
4	Dissolved Solids, APHA 24th Ed. 2540 C Total Dissolved Solids dried at 180 °C 2023	mg/l	1860.0	5.0 -10000 mg/l
5	Total Solids, APHA24th Ed2540B: 2023	mg/l	1922	5.0 -15000 mg/l
6	BOD, 3 days at 27 °C IS 3025 (Part 44): 1993	mg/l	95.0	1.0 -1000 mg/l
7	COD, APHA 24th Ed. 5220 B Open Reflux Method 2023	mg/l	360.0	4.0 -1000 mg/l
8	D.O. , APHA 24th Ed. 4500-OB Iodometric Method 2023	mg/l	0.0	0.2-14.0 mg/l

*Non-NABL Parameters.

Note : 1. The results in the Test Report relate only to the items tested: 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab

Remark:* - NA

Analysed by
[Rajni Raj(JRF)]

Authorized by
Anil Kumar
Vishwakarma
Anil Vishwkarma (SA)

Digitally signed by Anil
Kumar Vishwakarma
Date: 2026.01.13
18:27:53 +05'30'

Deokumar
Gupta
Regional Officer

Digitally signed
by Deokumar
Gupta
Date: 2026.01.13
18:36:41 +05'30'

Water Quality Criteria

Designated-Best-Use	Class of water	Criteria
Drinking Water Source without conventional treatment but after disinfection	A	Total Coliforms Organism MPN/100ml shall be 50 or less pH between 6.5 and 8.5 Dissolved Oxygen 6mg/l or more Biochemical Oxygen Demand 5 days 20 °C 2mg/l or less
Outdoor bathing (Organised)	B	Total Coliforms Organism MPN/100ml shall be 500 or less pH between 6.5 and 8.5 Dissolved Oxygen 5mg/l or more Biochemical Oxygen Demand 5 days 20 °C 3mg/l or less
Drinking water source after conventional treatment and disinfection	C	Total coliforms Organism MPN/100ml shall be 5000 or less pH between 6 to 9 Dissolved Oxygen 4mg/l or more Biochemical Oxygen Demand 5 days 20 °C 3mg/l or less
Propagation of Wild life and Fisheries	D	pH between 6.5 to 8.5 Dissolved Oxygen 4mg/l or more Free Ammonia (as N) 1.2 mg/l or less
Irrigation, Industrial Cooling, Controlled Waste disposal	E	pH between 6.0 to 8.5 Electrical Conductivity at 25 °C micro mhos/cm Max. 2250 Sodium absorption Ratio Max. 26 Boron Max. 2mg/l

Source: <http://www.cpcb.nic.in/wqstandards/>



REGIONAL LABORATORY MORADABAD
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
 1-A/L.N.S.-1, Avas Vikas Colony, Buddha Vihar, Delhi Road, Moradabad

TEST REPORT: WATER LABORATORY(GROUND WATER)

Date:13/01/2026

Ref No: 34956360/Moradabad/2026

- 1- Sample Location: HANDPUMP REHMULLAH SHAH WALI MASZID
- 2- Address: INDIA MARKA HANDPUMP REHMULLAH SHAH WALI MASZID HAYATNAGAR SAMBHAL
- 3- Distirct: Sambhal
- 4- Sample Source: Handpump
- 5- Type of sample : Ground Water
- 6- Sample Collected By : Anil Kumar SA,Rajendra Lal , JLA
- 7- Odour : None
- 8- Quantity and Packing : 2 Ltr.
- 9- Date of Sample Collection : 19/12/2025
- 10- Analysis Indented by : RO Moradabad
- 11- Date of sample receipt in Lab : 19/12/2025
- 12- Period of Analysis : From : 19/12/2025, To : 22/12/2025
- 13- ULR Number : --
- 14- Sampling Plan/Ref. No. : 34956360
- 15- Sampling Method Ref. : APHA 24th Edition 2023- 1060 A, B, C, Page No.- 42- 52, Collection & Preservation of Samples.

S. N.	Parameter	Unit	Standards Source: IS 10500:2012(2nd Rev.) Required Acceptable Limit	Results	Detection Range
1	pH, at 25 °C APHA 24th Ed.4500-B: 2023	-	6.5-8.5	7.26	02-12
2	Turbidity, APHA24th Ed 2130B: 2023	N.T.U	1.00	3.8	1-500NTU
3	Colour, APHA 24th Ed. 2120B: 2023	Hazen	5.00	Colourless	5-10000 Hazen
4	Conductivity, APHA 24th Ed. 2510B: 2023	µS/cm	NS	870.6	0.1-10000 µS/cm
5	Dissolved Solids, APHA 24th Ed. 2540 C Total Dissolved Solids dried at 180 °C 2023	mg/l	500	390.0	5-10000 mg/l
6	Hardness, APHA 24th Ed. 2340 C EDTA Titrimetric Method 2023	mg/l	200	358.0	10-5000 mg/l
7	Calcium Ca ⁺⁺ , APHA 24th Ed. 3500Ca-B: 2023	mg/l	75	100.8	10-1000 mg/l
8	Magnesium Mg ⁺⁺ , APHA 24th Ed. 3500 Mg-B: 2023	mg/l	30	25.44	10-1000 mg/l
9	Chloride, APHA 24th Ed 4500-Cl- B: 2023	mg/l	250	61.99	3-500 mg/l

These standards are subject to revision

Note : 1 The results in the Test Report relate only to the items tested: 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

Remark:* - The Permissible limit for ParameterTurbidity - 5 NTU, Total Hardness - 600mg/L, Calcium Hardness (as Ca) - 200mg/L.

Analysed by
[Rajni Raj(JRF)]

Authorized by
Anil Kumar
Vishwakarma
Anil Vishwakarma (SA)

Digitally signed by Anil Kumar Vishwakarma
Date: 2026.01.13
18:30:35 +05'30'

Deokumar
Gupta
Regional Officer

Digitally signed
by Deokumar
Gupta
Date: 2026.01.13
18:35:11 +05'30'



REGIONAL LABORATORY MORADABAD
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
 1-A/I.N.S.-1, Avas Vikas Colony, Buddha Vihar, Delhi Road, Moradabad

TEST REPORT: WATER LABORATORY(GROUND WATER)

Ref No: 34956339/Moradabad/2026

Date:13/01/2026

- 1- Sample Location: HANDPUMP NEAR KASHIRAM COLONY HAYATNAGAR SAMBHAL
- 2- Address: INDIA MARKA HANDPUMP NEAR KASHIRAM COLONY HAYATNAGAR SAMBHAL
- 3- Distiret: Sambhal
- 4- Sample Souree: Handpump
- 5- Type of sample : Ground Water
- 6- Sample Collected By : Anil Kumar SA,Rajendra Lal , JLA
- 7- Odour : None
- 8- Quantity and Packing : 2 Ltr.
- 9- Date of Sample Collection : 19/12/2025
- 10- Analysis Indented by : RO Moradabad
- 11- Date of sample receipt in Lab : 19/12/2025
- 12- Period of Analysis : From : 19/12/2025, To : 22/12/2025
- 13- ULR Number : --
- 14- Sampling Plan/Ref. No. : 34956339
- 15- Sampling Method Ref. : APHA 24th Edition 2023- 1060 A, B, C, Page No.- 42- 52, Collection & Preservation of Samples.

S. N.	Parameter	Unit	Standards Source: IS 10500:2012(2nd Rev.) Required Acceptable Limit	Results	Detection Range
1	pH, at 25 °C APHA 24th Ed.4500-B: 2023	-	6.5-8.5	7.12	02-12
2	Turbidity, APHA24th Ed 2130B: 2023	N.T.U	1.00	2.1	1-500NTU
3	Colour, APHA 24th Ed. 2120B: 2023	Hazen	5.00	Colourless	5-10000 Hazen
4	Conductivity, APHA 24th Ed. 2510B: 2023	µS/cm	NS	780.0	0.1-10000 µS/cm
5	Dissolved Solids, APHA 24th Ed. 2540 C Total Dissolved Solids dried at 180 °C 2023	mg/l	500	320.0	5-10000 mg/l
6	Hardness, APHA 24th Ed. 2340 C EDTA Titrimetric Method 2023	mg/l	200	324.0	10-5000 mg/l
7	Calcium Ca ⁺⁺ , APHA 24th Ed. 3500Ca-B: 2023	mg/l	75	88.0	10-1000 mg/l
8	Magnesium Mg ⁺⁺ , APHA 24th Ed. 3500 Mg-B: 2023	mg/l	30	24.96	10-1000 mg/l
9	Chloride, APHA 24th Ed 4500-Cl- B: 2023	mg/l	250	59.99	3-500 mg/l

These standards are subject to revision

Note : 1 The results in the Test Report relate only to the items tested: 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab

Remark:* - The Permissible limit for ParameterTurbidity - 5 NTU,Total Hardness - 600mg/L, Calcium Hardness (as Ca) - 200mg/L.

Analysed by
[Rajni Raj(JRF)]

Authorized by
Anil Kumar
Vishwakarma
Anil Vishwakarma (SA)

Digitally signed
by Deokumar
Gupta
Date: 2026.01.13
18:33:06 +05'30'
Regional Officer



REGIONAL LABORATORY MORADABAD
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
 1-A/I.N.S.-1, Avas Vikas Colony, Buddha Vihar, Delhi Road, Moradabad

TEST REPORT: WATER LABORATORY(GROUND WATER)

Ref No: 34956330/Moradabad/2026

Date:13/01/2026

- 1- Sample Location: HANDPUMP NEAR H K COLD STORAGE HAYATNAGAR SAMBHAL
- 2- Address: SHALLOW HANDPUMP NEAR H K COLD STORAGE HAYATNAGAR SAMBHAL
- 3- Distirct: Sambhal
- 4- Sample Source: Shallow Pump
- 5- Type of sample : Ground Water
- 6- Sample Collected By : Anil Kumar SA,Rajendra Lal , JLA
- 7- Odour : None
- 8- Quantity and Packing : 2 Ltr.
- 9- Date of Sample Collection : 19/12/2025
- 10- Analysis Indented by : RO Moradabad
- 11- Date of sample receipt in Lab : 19/12/2025
- 12- Period of Analysis : From : 19/12/2025, To : 22/12/2025
- 13- ULR Number : --
- 14- Sampling Plan/Ref. No. : 34956330
- 15- Sampling Method Ref. : APHA 24th Edition 2023- 1060 A, B, C, Page No.- 42- 52, Collection & Preservation of Samples.

S. N.	Parameter	Unit	Standards Source: IS 10500:2012(2nd Rev.) Required Acceptable Limit	Results	Detection Range
1	pH, at 25 °C APHA 24th Ed.4500-B: 2023	-	6.5-8.5	7.31	02-12
2	Turbidity, APHA24th Ed 2130B: 2023	N.T.U	1.00	4.2	1-500NTU
3	Colour, APHA 24th Ed. 2120B: 2023	Hazen	5.00	Colourless	5-10000 Hazen
4	Conductivity, APHA 24th Ed. 2510B: 2023	µS/cm	NS	840.0	0.1-10000 µS/cm
5	Dissolved Solids, APHA 24th Ed. 2540 C Total Dissolved Solids dried at 180 °C 2023	mg/l	500	410	5-10000 mg/l
6	Hardness, APHA 24th Ed. 2340 C EDTA Titrimetric Method 2023	mg/l	200	346.0	10-5000 mg/l
7	Calcium Ca ⁺⁺ , APHA 24th Ed. 3500Ca-B: 2023	mg/l	75	91.2	10-1000 mg/l
8	Magnesium Mg ⁺⁺ , APHA 24th Ed. 3500 Mg-B: 2023	mg/l	30	28.32	10-1000 mg/l
9	Chloride, APHA 24th Ed 4500-Cl- B: 2023	mg/l	250	69.99	3-500 mg/l

These standards are subject to revision

Note : 1 The results in the Test Report relate only to the items tested: 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab

Remark:* - The Permissible limit for ParameterTurbidity - 5 NTU.Total Hardness - 600mg/L, Calcium Hardness (as Ca) - 200mg/L.

Analysed by
[Rajni Raj(JRF)]

Authorized by
Anil Kumar
Vishwakarma
Date: 2026.01.13
Anil Vishwakarma (SA)

Deoku
mar
Gupta
Regionally Officer

Digitally signed
by Deokumar
Gupta
Date:
2026.01.13
18:34:51 +05'30'



REGIONAL LABORATORY MORADABAD
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
 1-A/I.N.S.-1, Avas Vikas Colony, Buddha Vihar, Delhi Road, Moradabad

TEST REPORT: WATER LABORATORY(GROUND WATER)

Ref No: 34956320/Moradabad/2026

Date:13/01/2026

- 1- Sample Location: HANDPUMP NEAR AMBEDKAR PARK HASANPUR MUNJABTA
- 2- Address: INDIA MARKA HANDPUMP NEAR AMBEDKAR PARK HASANPUR MUNJABTA
- 3- Distirct: Sambhal
- 4- Sample Source: Handpump
- 5- Type of sample : Ground Water
- 6- Sample Collected By : Anil Kumar SA,Rajendra Lal , JLA
- 7- Odour : None
- 8- Quantity and Packing : 2 Ltr.
- 9- Date of Sample Collection : 19/12/2025
- 10- Analysis Indented by : RO Moradabad
- 11- Date of sample receipt in Lab : 19/12/2025
- 12- Period of Analysis : From : 19/12/2025, To : 22/12/2025
- 13- ULR Number : --
- 14- Sampling Plan/Ref. No. : 34956320
- 15- Sampling Method Ref. : APHA 24th Edition 2023- 1060 A, B, C, Page No.- 42- 52, Collection & Preservation of Samples.

S. N.	Parameter	Unit	Standards Source: IS 10500:2012(2nd Rev.) Required Acceptable Limit	Results	Detection Range
1	pH, at 25 °C APHA 24th Ed.4500-B: 2023	-	6.5-8.5	7.43	02-12
2	Turbidity, APHA24th Ed 2130B: 2023	N.T.U	1.00	4.8	1-500NTU
3	Colour, APHA 24th Ed. 2120B: 2023	Hazen	5.00	Colourless	5-10000 Hazen
4	Conductivity, APHA 24th Ed. 2510B: 2023	µS/cm	NS	920.0	0.1-10000 µS/cm
5	Dissolved Solids, APHA 24th Ed. 2540 C Total Dissolved Solids dried at 180 °C 2023	mg/l	500	470	5-10000 mg/l
6	Hardness, APHA 24th Ed. 2340 C EDTA Titrimetric Method 2023	mg/l	200	298.0	10-5000 mg/l
7	Calcium Ca ⁺⁺ , APHA 24th Ed. 3500Ca-B: 2023	mg/l	75	72.8	10-1000 mg/l
8	Magnesium Mg ⁺⁺ , APHA 24th Ed. 3500 Mg-B: 2023	mg/l	30	27.84	10-1000 mg/l
9	Chloride, APHA 24th Ed 4500-Cl- B: 2023	mg/l	250	64.99	3-500 mg/l

These standards are subject to revision

Note 1 The results in the Test Report relate only to the items tested: 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

Remark:* - The Permissible limit for ParameterTurbidity - 5 NTU,Total Hardness - 600mg/L, Calcium Hardness (as Ca) - 200mg/L.

Analysed by
[Rajni Raj(JRF)]

Authorized by
 Anil Kumar
 Digitally signed by Anil
 Kumar Vishwakarma
 Date: 2026.01.13
 18:31:29 +05'30'
 Anil Vishwakarma (SA)

Deoku
 mar
 Gupta
 Digitally signed
 by Deokumar
 Gupta
 Date:
 2026.01.13
 18:14:29 +05'30'
 Regional Officer



REGIONAL LABORATORY MORADABAD
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
 1-A/I.N.S.-1, Avas Vikas Colony, Buddha Vihar, Delhi Road, Moradabad

TEST REPORT: WATER LABORATORY(GROUND WATER)

Date:13/01/2026

Ref No: 34956309/Moradabad/2026

- 1- Sample Location: HANDPUMP COMPOSITE SCHOOL HASANPUR MUNJABTA
- 2- Address: INDIA MARKA HANDPUMP COMPOSITE SCHOOL HASANPUR MUNJABTA
- 3- Distirct: Sambhal
- 4- Sample Sourec: Handpump
- 5- Type of sample : Ground Water
- 6- Sample Collected By : Anil Kumar SA,Rajendra Lal , JLA
- 7- Odour : None
- 8- Quantity and Packing : 2 Ltr.
- 9- Date of Sample Collection : 19/12/2025
- 10- Analysis Indented by : RO Moradabad
- 11- Date of sample receipt in Lab : 19/12/2025
- 12- Period of Analysis : From : 19/12/2025, To : 22/12/2025
- 13- ULR Number : --
- 14- Sampling Plan/Ref. No. : 34956309
- 15- Sampling Method Ref. : APHA 24th Edition 2023- 1060 A, B, C, Page No.- 42- 52, Collection & Preservation of Samples.

S. N.	Parameter	Unit	Standards Source: IS 10500:2012(2nd Rev.) Required Acceptable Limit	Results	Detection Range
1	pH, at 25 °C APHA 24th Ed.4500-B: 2023	-	6.5-8.5	7.18	02-12
2	Turbidity, APHA24th Ed 2130B: 2023	N.T.U	1.00	3.8	1-500NTU
3	Colour, APHA 24th Ed. 2120B: 2023	Hazen	5.00	Colourless	5-10000 Hazen
4	Conductivity, APHA 24th Ed. 2510B: 2023	µS/cm	NS	580	0.1-10000 µS/cm
5	Dissolved Solids, APHA 24th Ed. 2540 C Total Dissolved Solids dried at 180 °C 2023	mg/l	500	290	5-10000 mg/l
6	Hardness, APHA 24th Ed. 2340 C EDTA Titrimetric Method 2023	mg/l	200	286.0	10-5000 mg/l
7	Calcium Ca ⁺⁺ , APHA 24th Ed. 3500Ca-B: 2023	mg/l	75	66.4	10-1000 mg/l
8	Magnesium Mg ⁺⁺ , APHA 24th Ed. 3500 Mg-B: 2023	mg/l	30	28.8	10-1000 mg/l
9	Chloride, APHA 24th Ed 4500-Cl- B: 2023	mg/l	250	12.99	3-500 mg/l

These standards are subject to revision

Note : 1 The results in the Test Report relate only to the items tested: 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab

Remark:* - The Permissible limit for ParameterTurbidity - 5 NTU,Total Hardness - 600mg/L, Calcium Hardness (as Ca) - 200mg/L.

Analysed by
[Rajni Raj(JRF)]

Authorized by
Anil Kumar
Digitally signed by Anil
Kumar Vishwakarma
Date: 2026.01.13
18:29:28 +05'30'
Vishwakarma
Anil Vishwakarma (SA)

Digitally signed
by Deekumar
Gupta
Date: 2026.01.13
18:35:55 +05'30'
Deekumar
Gupta
Regional Officer



REGIONAL LABORATORY MORADABAD
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
 1-A/I.N.S.-1, Avas Vikas Colony, Buddha Vihar, Delhi Road, Moradabad

TEST REPORT: WATER LABORATORY(GROUND WATER)

Ref No: 34956292/Moradabad/2026

Date:13/01/2026

- 1- Sample Location: HANDPUMP BEHIND BIJLI GHAR
- 2- Address: INDIA MARKA HANDPUMP BEHIND BIJLI GHAR HAYATNAGAR SAMBHAL
- 3- Distirct: Sambhal
- 4- Sample Source: Handpump
- 5- Type of sample : Ground Water
- 6- Sample Collected By : Anil Kumar SA,Rajendra Lal , JLA
- 7- Odour : None
- 8- Quantity and Packing : 2 Ltr.
- 9- Date of Sample Collection : 19/12/2025
- 10- Analysis Indented by : RO Moradabad
- 11- Date of sample receipt in Lab : 19/12/2025
- 12- Period of Analysis : From : 19/12/2025, To : 22/12/2025
- 13- ULR Number : --
- 14- Sampling Plan/Ref. No. : 34956292
- 15- Sampling Method Ref. : APHA 24th Edition 2023- 1060 A, B, C, Page No.- 42- 52, Collection & Preservation of Samples.

S. N.	Parameter	Unit	Standards Source: IS 10500:2012(2nd Rev.) Required Acceptable Limit	Results	Detection Range
1	pH, at 25 °C APHA 24th Ed.4500-B: 2023	-	6.5-8.5	7.09	02-12
2	Turbidity, APHA24th Ed 2130B: 2023	N.T.U	1.00	3.2	1-500NTU
3	Colour, APHA 24th Ed. 2120B: 2023	Hazen	5.00	Colourless	5-10000 Hazen
4	Conductivity, APHA 24th Ed. 2510B: 2023	µS/cm	NS	670.0	0.1-10000 µS/cm
5	Dissolved Solids, APHA 24th Ed. 2540 C Total Dissolved Solids dried at 180 °C 2023	mg/l	500	310	5-10000 mg/l
6	Hardness, APHA 24th Ed. 2340 C EDTA Titrimetric Method 2023	mg/l	200	336.0	10-5000 mg/l
7	Calcium Ca ⁺⁺ , APHA 24th Ed. 3500Ca-B: 2023	mg/l	75	79.2	10-1000 mg/l
8	Magnesium Mg ⁺⁺ , APHA 24th Ed. 3500 Mg-B: 2023	mg/l	30	33.12	10-1000 mg/l
9	Chloride, APHA 24th Ed 4500-Cl- B: 2023	mg/l	250	27.99	3-500 mg/l

These standards are subject to revision

Note : 1 The results in the Test Report relate only to the items tested: 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab

Remark:* - The Permissible limit for ParameterTurbidity - 5 NTU,Total Hardness - 600mg/L, Calcium Hardness (as Ca) - 200mg/L.

Analysed by
[Rajni Raj(JRF)]

Authorized by
Anil Kumar
Digitally signed by Anil
Kumar Vishwakarma
Date: 2026.01.13
18:32:22 +05'30'
Anil Vishwakarma (SA)

Deoku
mar
Gupta
Digitally signed
by Deokumar
Gupta
Date:
2026.01.13
18:33:31 +05'30'
Regional Officer



क्षेत्रीय कार्यालय
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1-ए/आई.एन.एस.-1, आवास विकास कालोनी, बौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, मुरादाबाद

19

दिनांक 07.01.2026

पत्र संख्या: 38 / N-13 / 13.0 / 25 / जनरल

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7),
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।


विषय— माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 के अनुपालन में मो० कामिल पुत्र मो० नन्हें, मोहल्ला— सराय तरीन, थाना—हयातनगर, तहसील व जनपद—सम्भल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में।


महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्कम में अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 के अनुपालन में मो० कामिल पुत्र मो० नन्हें, मोहल्ला— सराय तरीन, थाना—हयातनगर, तहसील व जनपद—सम्भल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में उक्त स्थल मो० कामिल पुत्र मो० नन्हें, मोहल्ला— सराय तरीन, थाना—हयातनगर, तहसील व जनपद—सम्भल का अद्यतन निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 31.12.2025 को किया गया। मो० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 06.11.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में उक्त इकाई मो० कामिल पुत्र मो० नन्हें, मोहल्ला— सराय तरीन, थाना—हयातनगर, तहसील व जनपद—सम्भल के विरुद्ध रु० 17,50,000.00 (सत्रह लाख पचास हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय

संलग्नक: यथोपरि।


07.01.26
(देव कुमार गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी



माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 के अनुपालन में मो0 कामिल पुत्र मो0 नन्हें, मोहल्ला- सराय तरीन, थाना-हयातनगर, तहसील व जनपद -सम्मल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के आख्या-

उपरोक्त विषयक मो0 कामिल पुत्र मो0 नन्हें, मोहल्ला- सराय तरीन, थाना-हयातनगर, तहसील व जनपद -सम्मल द्वारा उक्त स्थल पर स्थापित/संचालित इकाई/वांशिग प्लांट का अद्यतन निरीक्षण अधोहरस्ताक्षरकर्ताओ द्वारा दिनांक 31.12.2025 को किया गया (फोटोग्राफ संलग्न)। निरीक्षण के दौरान इकाई स्थल पर मो0 कामिल (प्रोपराइटर) उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान इकाई बन्द पायी गयी। कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त इकाई का पूर्व में प्रथम बार निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 28.01.2025 को किया गया था। निरीक्षण के दौरान उक्त इकाई राज्य बोर्ड से बिना स्थापनार्थ सहमति (CTE) प्राप्त किये स्थापित तथा बिना संचालनार्थ सहमति (CTO) प्राप्त किये अवैध रूप से संचालित पायी गयी। उक्त के दृष्टिगत इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या- एच 24758/सी-7/विविध-720/2025 दिनांक 27.02.2025 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया तथा जिलाधिकारी महोदय, सम्मल के कार्यालय आदेश सं0 487/आ.लि.-आ.जि.सं. दिनांक 17.07.2025 द्वारा गठित संयुक्त जाँच कमेटी द्वारा दिनांक 21.07.2025 को इकाई के निरीक्षण के दौरान उक्त इकाई संचालित पायी गयी। संयुक्त जाँच कमेटी द्वारा इकाई में उत्पादन कार्य बन्द करा दिया गया। इकाई द्वारा बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में कोई प्रतिउत्तर नहीं दिये जाने के दृष्टिगत उक्त इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र सं0 एच 31038/सी-7/विविध-720/2025 दिनांक 04.08.2025 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत बंदी आदेश जारी किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है। उक्त इकाई वर्तमान में संचालित नहीं है।

उपरोक्तानुसार उक्त इकाई के अवैध संचालन की अवधि दिनांक 28.01.2025 से दिनांक 21.07.2025 तक कुल 175 दिन को डिफाल्टर दिवस मानते हुये केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के पत्र दिनांक 08.02.2019 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुये जारी मार्गदर्शिका के अनुसार उक्त इकाई मो0 कामिल पुत्र मो0 नन्हें, मोहल्ला- सराय तरीन, थाना-हयातनगर, तहसील व जनपद -सम्मल के विरुद्ध नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की जाती है-

$$\text{Penalty/E.C. in (RS.)} = \text{PI} \times \text{N} \times \text{RS} \times \text{LF}$$

Where

PI = Pollution Index of industrial section (Since the Category Red)= 80

N = Number of days of violation took place= 175

R = A factor in rupees for penalty= 250

S = Factor for scale of opration (small)= 0.5

LF = Location Factor (Based on population)= 1.0

$$\text{Penalty/EC} = 80 \times 175 \times 250 \times 0.5 \times 1.0$$

$$= 1750000.00 \text{ only}$$

अतः उपरोक्तानुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 06.11.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में उक्त इकाई मो0 कामिल पुत्र मो0 नन्हें, मोहल्ला- सराय तरीन, थाना-हयातनगर, तहसील व जनपद -सम्मल के विरुद्ध रु0 17,50,000.00 (सत्रह लाख पचास हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

Anil Kumar
07.01.26
(अनिल कुमार)

वैज्ञानिक सहायक


Suman
07/01/2026
(संतोष कुमार)

सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

Suman
07.01.26

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7), महोदय



श्री कासिम उर्फ कामिल पुत्र श्री नन्दे, हयातनगर से हसनपुर मुनजब्जा मार्ग, हयातनगर जनपद संभल,

अक्षान्तर 28.557293 देशांतर 78.576736



क्षेत्रीय कार्यालय
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1-ए/आई.एन.एस.-1, आवास विकास कालोनी, बौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, मुरादाबाद

दिनांक 07.01.2026

पत्र संख्या: 41 / N-13 / 130 / 25 / जनरल

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7),
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।


विषय- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 के अनुपालन में मो० इमरान पुत्र मो० रिजवान, ग्राम अजीजपुर असदपुर, थाना-हयातनगर, जनपद -सम्भल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में।

महोदय,


कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्कम में अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 के अनुपालन में मो० इमरान पुत्र मो० रिजवान, ग्राम अजीजपुर असदपुर, थाना-हयातनगर, जनपद -सम्भल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में उक्त स्थल मो० इमरान पुत्र मो० रिजवान, ग्राम अजीजपुर असदपुर, थाना-हयातनगर, जनपद -सम्भल का अद्यतन निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 31.12.2025 को किया गया। मो० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 06.11.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में उक्त इकाई मो० इमरान पुत्र मो० रिजवान, ग्राम अजीजपुर असदपुर, थाना-हयातनगर, जनपद -सम्भल के विरुद्ध रु० 27,40,000.00 (सत्ताइस लाख चालीस हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय

संलग्नक: यथोपरि।


07.01.26

(देव कुमार गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी



माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 के अनुपालन में मो0 इमरान पुत्र मो0 रिजवान, ग्राम अजीजपुर असदपुर, थाना-हयातनगर, जनपद -सम्मल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में आख्या-

उपरोक्त विषयक मो0 इमरान पुत्र मो0 रिजवान, ग्राम अजीजपुर असदपुर, थाना-हयातनगर, जनपद -सम्मल द्वारा उक्त स्थल पर स्थापित/संचालित इकाई/वांशिंग प्लान्ट का अद्यतन निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 31.12.2025 को किया गया (फोटोग्राफ संलग्न)। निरीक्षण के दौरान इकाई स्थल पर इकाई प्रतिनिधि के रूप में मो0 जैश उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान इकाई बन्द पायी गयी। कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त इकाई का पूर्व में प्रथम बार निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 21.10.2024 को किया गया था। निरीक्षण के दौरान उक्त इकाई राज्य बोर्ड से बिना स्थापनार्थ सहमति (CTE) प्राप्त किये स्थापित तथा बिना संचालनार्थ सहमति (CTO) प्राप्त किये अवैध रूप से संचालित पायी गयी। उक्त के दृष्टिगत इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या- एच 22832/सी-7/विधि-710/2025 दिनांक 17.01.2025 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया तथा जिलाधिकारी महोदय, सम्मल के कार्यालय आदेश सं0 487/आ.लि.-आ.जि.सं. दिनांक 17.07.2025 द्वारा गठित संयुक्त जॉच कमेटी द्वारा दिनांक 21.07.2025 को इकाई के निरीक्षण के दौरान उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि इकाई में उत्पादन कार्य बन्द कर दिया गया है। इकाई द्वारा बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में कोई प्रतिउत्तर नहीं दिये जाने के दृष्टिगत उक्त इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र सं0 एच 31036/सी-7/विधि-710/2025 दिनांक 04.08.2025 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत बंदी आदेश जारी किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है। उक्त इकाई वर्तमान में संचालित नहीं है।

उपरोक्तानुसार उक्त इकाई के अवैध संचालन की अवधि दिनांक 21.10.2024 से दिनांक 21.07.2025 तक कुल 274 दिन को डिफाल्टर दिवस मानते हुये केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के पत्र दिनांक 08.02.2019 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुये जारी मार्गदर्शिका के अनुसार उक्त इकाई मो0 इमरान पुत्र मो0 रिजवान, ग्राम अजीजपुर असदपुर, थाना-हयातनगर, जनपद -सम्मल के विरुद्ध नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की जाती है-

$$\text{Penalty/E.C. in (RS.)} = \text{PI} \times \text{N} \times \text{RS} \times \text{LF}$$

Where

PI = Pollution Index of industrial section (Since the Category Red)= 80

N = Number of days of violation took place= 274

R = A factor in rupees for penalty= 250

S = Factor for scale of operation (small)= 0.5

LF = Location Factor (Based on population)= 1.0

$$\text{Penalty/EC} = 80 \times 274 \times 250 \times 0.5 \times 1.0$$

$$= 2740000.00 \text{ only}$$

अतः उपरोक्तानुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 06.11.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में उक्त इकाई मो0 इमरान पुत्र मो0 रिजवान, ग्राम अजीजपुर असदपुर, थाना-हयातनगर, जनपद -सम्मल के विरुद्ध रु0 27,40,000.00 (सत्ताइस लाख चालीस हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

Anil Kumar
07/01/26
(अनिल कुमार)

वैज्ञानिक सहायक

Suman
07/01/2026
(संतोष कुमार)

सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

Suman
07.01.26

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7), महोदय



मो० इमरान पुत्र मो० रिजवान, ग्राम अजीजपुर असादपुर थाना हयातनगर, जनपद संभल

अक्षान्तर 28.551782 देशांतर 78.577346



क्षेत्रीय कार्यालय
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1-ए/आई.एन.एस.-1, आवास विकास कालोनी, बौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, मुरादाबाद

पत्र संख्या: 40 / N-13 / 130/25 / जनरल

दिनांक 07.01.2026

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7),
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 के अनुपालन में मो० तसलीम पुत्र मो० शरीफ, मोहल्ला- हयातनगर, थाना-हयातनगर, जनपद -सम्मल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्कम में अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 के अनुपालन में मो० तसलीम पुत्र मो० शरीफ, मोहल्ला- हयातनगर, थाना-हयातनगर, जनपद -सम्मल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में उक्त स्थल मो० तसलीम पुत्र मो० शरीफ, मोहल्ला- हयातनगर, थाना-हयातनगर, जनपद -सम्मल का अद्यतन निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 31.12.2025 को किया गया। मो० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 06.11.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में उक्त इकाई मो० तसलीम पुत्र मो० शरीफ, मोहल्ला- हयातनगर, थाना-हयातनगर, जनपद -सम्मल के विरुद्ध रु० 17,50,000.00 (सत्रह लाख पचास हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय

[Signature]
07.01.26

(देव कुमार गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी

[Signature]

संलग्नक: यथोपरि।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 के अनुपालन में मो० तसलीम पुत्र मो० शरीफ मोहल्ला- हयातनगर, थाना-हयातनगर, जनपद -सम्भल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध आख्या-

उपरोक्त विषयक मो० तसलीम पुत्र मो० शरीफ, मोहल्ला- हयातनगर, थाना-हयातनगर, जनपद -सम्भल द्वारा उक्त स्थल पर स्थापित/संचालित इकाई/वांशिंग प्लान्ट का अद्यतन निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 31.12.2025 को किया गया (फोटोग्राफ संलग्न)। निरीक्षण के दौरान इकाई स्थल पर इकाई प्रतिनिधि के रूप में मो० अलीम उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान इकाई बन्द पायी गयी। कार्यालय अगिलेखानुसार उक्त इकाई का पूर्व में प्रथम बार निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 28.01.2025 को किया गया था। निरीक्षण के दौरान उक्त इकाई राज्य बोर्ड से बिना स्थापनार्थ सहमति (CTE) प्राप्त किये स्थापित तथा बिना संचालनार्थ सहमति (CTO) प्राप्त किये अवैध रूप से संचालित पायी गयी। उक्त के दृष्टिगत इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या- एच 24928/सी-7/विविध-723/2025 दिनांक 28.02.2025 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया तथा जिलाधिकारी महोदय, सम्भल के कार्यालय आदेश सं० 487/आ.लि.-आ.जि.सं. दिनांक 17.07.2025 द्वारा गठित संयुक्त जॉच कमेटी द्वारा दिनांक 21.07.2025 को इकाई के निरीक्षण के दौरान उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि इकाई में उत्पादन कार्य बन्द कर दिया गया है। इकाई द्वारा बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में कोई प्रतिउत्तर नहीं दिये जाने के दृष्टिगत उक्त इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र सं० एच 31040/सी-7/विविध-723/2025 दिनांक 04.08.2025 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत बंदी आदेश जारी किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है। उक्त इकाई वर्तमान में संचालित नहीं है।

उपरोक्तानुसार उक्त इकाई के अवैध संचालन की अवधि दिनांक 28.01.2025 से दिनांक 21.07.2025 तक कुल 175 दिन को डिफाल्टर दिवस मानते हुये केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के पत्र दिनांक 08.02.2019 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुये जारी मार्गदर्शिका के अनुसार उक्त इकाई मो० तसलीम पुत्र मो० शरीफ, मोहल्ला- हयातनगर, थाना-हयातनगर, जनपद -सम्भल के विरुद्ध नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की जाती है-

$$\text{Penalty/E.C. in (RS.)} = \text{PI} \times \text{N} \times \text{RS} \times \text{LF}$$

Where

PI = Pollution Index of industrial section (Since the Category Red)= 80

N = Number of days of violation took place= 175

R = A factor in rupees for penalty= 250

S = Factor for scale of opration (small)= 0.5

LF = Location Factor (Based on population)= 1.0

$$\text{Penalty/EC} = 80 \times 175 \times 250 \times 0.5 \times 1.0$$

$$= 1750000.00 \text{ only}$$

अतः उपरोक्तानुसार मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 06.11.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में उक्त इकाई मो० तसलीम पुत्र मो० शरीफ, मोहल्ला- हयातनगर, थाना-हयातनगर, जनपद -सम्भल के विरुद्ध ₹० 17,50,000.00 (सत्रह लाख पचास हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

Anil Kumar
(अनिल कुमार)

वैज्ञानिक सहायक


Suman
07/01/2026
(संतोष कुमार)

सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

Suman
07.01.26

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7), महोदय



Google

Hayatnagar, Uttar Pradesh, India

Hh2f+w38, Hayatnagar, Uttar Pradesh 244303, India

Lat 28.552283° Long 78.573075°

Wednesday, 31/12/2025 03:07 PM GMT +05:30

GPS Map Camera

मो० तसलीम पुत्र मो० शरीफ, मौहल्ला हयातनगर, थाना हयातनगर, जनपद संभल

अक्षान्तर 28.552283 देशांतर 78.573075



क्षेत्रीय कार्यालय
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1-ए/आई.एन.एस.-1, आवास विकास कालोनी, बौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, मुरादाबाद

पत्र संख्या: 36 / N-13/130/25/जनस्त

दिनांक 7 01.2026

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7),
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।


विषय- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 के अनुपालन में मो० फैसल पुत्र मो० नन्हें, मोहल्ला- हयातनगर, तहसील व जनपद -सम्भल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में।


महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्कम में अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 के अनुपालन में मो० फैसल पुत्र मो० नन्हें, मोहल्ला- हयातनगर, तहसील व जनपद -सम्भल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में उक्त स्थल मो० फैसल पुत्र मो० नन्हें, मोहल्ला- हयातनगर, तहसील व जनपद -सम्भल का अद्यतन निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 31.12.2025 को किया गया। मो० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 06.11.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में उक्त इकाई मो० फैसल पुत्र मो० नन्हें, मोहल्ला- हयातनगर, तहसील व जनपद -सम्भल के विरुद्ध रु० 17,50,000.00 (सत्रह लाख पचास हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय


07.01.26
(देव कुमार गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी



माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 के अनुपालन में मो0 फैसल पुत्र मो0 नन्हें, मोहल्ला- हयातनगर, तहसील व जनपद -सम्मल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में आख्या-

उपरोक्त विषयक मो0 फैसल पुत्र मो0 नन्हें, मोहल्ला- हयातनगर, तहसील व जनपद -सम्मल द्वारा उक्त स्थल पर स्थापित/संचालित इकाई/वांशिंग प्लान्ट का अद्यतन निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओ द्वारा दिनांक 31.12.2025 को किया गया (फोटोग्राफ संलग्न)। निरीक्षण के दौरान इकाई स्थल पर मो0 फैसल (प्रोपराइटर) उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान इकाई बन्द पायी गयी। कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त इकाई का पूर्व में प्रथम बार निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 28.01.2025 को किया गया था। निरीक्षण के दौरान उक्त इकाई राज्य बोर्ड से बिना स्थापनार्थ सहमति (CTE) प्राप्त किये स्थापित तथा बिना संचालनार्थ सहमति (CTO) प्राप्त किये अवैध रूप से संचालित पायी गयी। उक्त के दृष्टिगत इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या- एच 24929/सी-7/विविध-721/2025 दिनांक 28.02.2025 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया तथा जिलाधिकारी महोदय, सम्मल के कार्यालय आदेश सं0 487/आ.लि.-आ.जि.सं. दिनांक 17.07.2025 द्वारा गठित संयुक्त जॉय कमेटी द्वारा दिनांक 21.07.2025 को इकाई के निरीक्षण के दौरान उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि इकाई में उत्पादन कार्य बन्द कर दिया गया है। इकाई द्वारा बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में कोई प्रतिउत्तर नहीं दिये जाने के दृष्टिगत उक्त इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र सं0 एच 31034/सी-7/विविध-721/2025 दिनांक 04.08.2025 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत बंदी आदेश जारी किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है। उक्त इकाई वर्तमान में संचालित नहीं है।

उपरोक्तानुसार उक्त इकाई के अवैध संचालन की अवधि दिनांक 28.01.2025 से दिनांक 21.07.2025 तक कुल 175 दिन को डिफाल्टर दिवस मानते हुये केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के पत्र दिनांक 08.02.2019 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुये जारी मार्गदर्शिका के अनुसार उक्त इकाई मो0 फैसल पुत्र मो0 नन्हें, मोहल्ला- हयातनगर, तहसील व जनपद -सम्मल के विरुद्ध नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की जाती है-

$$\text{Penalty/E.C. in (RS.)} = \text{PI} \times \text{N} \times \text{RS} \times \text{LF}$$

Where

PI = Pollution Index of industrial section (Since the Category Red)= 80

N = Number of days of violation took place= 175

R = A factor in rupees for penalty= 250

S = Factor for scale of opration (small)= 0.5

LF = Location Factor (Based on population)= 1.0

$$\text{Penalty/EC} = 80 \times 175 \times 250 \times 0.5 \times 1.0$$

$$= 1750000.00 \text{ only}$$

अतः उपरोक्तानुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 06.11.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में उक्त इकाई मो0 फैसल पुत्र मो0 नन्हें, मोहल्ला- हयातनगर, तहसील व जनपद -सम्मल के विरुद्ध रु0 17,50,000.00 (सत्रह लाख पचास हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

Anil Kumar
07/01/26
(अनिल कुमार)

वैज्ञानिक सहायक


Suman
07/01/26
(सतोष कुमार)

सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

Suman
07.01.26

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7), महोदय



मो० फ़ैसल पुत्र मो० नन्हे, मौहल्ला हयातनगर, थाना हयातनगर, जनपद संभल

अक्षान्तर 28.557017 देशांतर 78.581219



क्षेत्रीय कार्यालय
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1-ए/आई.एन.एस.-1, आवास विकास कालोनी, बौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, मुरादाबाद

पत्र संख्या: 46/N-13/130/25/जनरल

दिनांक 07 01.2026

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7),
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।


विषय- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 के अनुपालन में मेसर्स ब्लैक तुर्की वांशिंग प्लान्ट, बहजोई रोड, मोहल्ला-हयातनगर, तहसील व जनपद -सम्भल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में।

महोदय,


कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्कम में अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 के अनुपालन में मेसर्स ब्लैक तुर्की वांशिंग प्लान्ट, बहजोई रोड, मोहल्ला-हयातनगर, तहसील व जनपद -सम्भल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में उक्त स्थल मेसर्स ब्लैक तुर्की वांशिंग प्लान्ट, बहजोई रोड, मोहल्ला-हयातनगर, तहसील व जनपद -सम्भल का अद्यतन निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 31.12.2025 को किया गया। मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 06.11.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में उक्त इकाई मेसर्स ब्लैक तुर्की वांशिंग प्लान्ट, बहजोई रोड, मोहल्ला-हयातनगर, तहसील व जनपद -सम्भल के विरुद्ध रु० 17,50,000.00 (सत्रह लाख पचास हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय

संलग्नक: यथोपरि।


07/01/26

(देव कुमार गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी



माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 के अनुपालन में मेसर्स ब्लैक तुर्की वांशिंग प्लान्ट, बहजोई रोड, मोहल्ला-हयातनगर, तहसील व जनपद -सम्मल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में आख्या-

उपरोक्त विषयक मेसर्स ब्लैक तुर्की वांशिंग प्लान्ट, बहजोई रोड, मोहल्ला-हयातनगर, तहसील व जनपद -सम्मल द्वारा उक्त स्थल पर स्थापित/संचालित इकाई/वांशिंग प्लान्ट का अद्यतन निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 31.12.2025 को किया गया (फोटोग्राफ संलग्न)। निरीक्षण के दौरान इकाई स्थल पर इकाई प्रोपराइटर अथवा कोई इकाई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था। निरीक्षण के दौरान इकाई बन्द पायी गयी। कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त इकाई का पूर्व में प्रथम बार निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 28.01.2025 को किया गया था। निरीक्षण के दौरान उक्त इकाई राज्य बोर्ड से बिना स्थापनार्थ सहमति (CTE) प्राप्त किये स्थापित तथा बिना संचालनार्थ सहमति (CTO) प्राप्त किये अवैध रूप से संचालित पायी गयी। उक्त के दृष्टिगत इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या- एच 24667/सी-7/विविध-718/2024 दिनांक 25.02.2025 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया तथा जिलाधिकारी महोदय, सम्मल के कार्यालय आदेश सं 0 487/आ.लि.-आ.जि.सं. दिनांक 17.07.2025 द्वारा गठित संयुक्त जाँच कमेटी द्वारा दिनांक 21.07.2025 को इकाई के निरीक्षण के दौरान उपस्थित इकाई प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि इकाई में उत्पादन कार्य बन्द कर दिया गया है। इकाई द्वारा बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में कोई प्रतिउत्तर नहीं दिये जाने के दृष्टिगत उक्त इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र सं 0 एच 31041/सी-7/विविध- 718/2025 दिनांक 04.08.2025 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत बंदी आदेश जारी किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है। उक्त इकाई वर्तमान में संचालित नहीं है।

उपरोक्तानुसार, उक्त इकाई के अवैध संचालन की अवधि दिनांक 28.01.2025 से दिनांक 21.07.2025 तक कुल 175 दिन को डिफाल्टर दिवस मानते हुये केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के पत्र दिनांक 08.02.2019 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुये जारी मार्गदर्शिका के अनुसार उक्त इकाई मेसर्स ब्लैक तुर्की वांशिंग प्लान्ट, बहजोई रोड, मोहल्ला-हयातनगर, तहसील व जनपद -सम्मल के विरुद्ध नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की जाती है-

$$\text{Penalty/E.C. in (RS.)} = \text{PI} \times \text{N} \times \text{RS} \times \text{LF}$$

Where

PI = Pollution Index of industrial section (Since the Category Red)= 80

N = Number of days of violation took place= 175

R = A factor in rupees for penalty= 250

S = Factor for scale of opration (small)= 0.5

LF = Location Factor (Based on population)= 1.0

$$\text{Penalty/EC} = 80 \times 175 \times 250 \times 0.5 \times 1.0$$

$$= 1750000.00 \text{ only}$$

अतः उपरोक्तानुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 06.11.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में उक्त इकाई मेसर्स ब्लैक तुर्की वांशिंग प्लान्ट, बहजोई रोड, मोहल्ला-हयातनगर, तहसील व जनपद -सम्मल के विरुद्ध रु0 17,50,000.00 (सत्रह लाख पचास हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

Anil Kumar
(अनिल कुमार)

वैज्ञानिक सहायक


Santop Kumar
(संतोप कुमार)

सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

Kumar
07.01.26

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7), महोदय



मैसर्स ब्लैक तुर्की वाशिंग प्लांट, बहजोई रोड, हयातनगर, जनपद संभल

अक्षांतर 28.555346 देशांतर 78.590071



क्षेत्रीय कार्यालय
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1-ए/आई.एन.एस.-1, आवास विकास कालोनी, बौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, मुरादाबाद

पत्र संख्या: 37 / N-13 / 130 / 25 / जनरल

दिनांक=7 01.2026

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7),
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।


विषय— माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 के अनुपालन में श्री मो० रिजवान अंसारी पुत्र श्री मो० रफी, मोहल्ला-हयातनगर, तहसील व जनपद -सम्मल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में।

महोदय,


कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्कम में अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 के अनुपालन में श्री मो० रिजवान अंसारी पुत्र श्री मो० रफी, मोहल्ला-हयातनगर, तहसील व जनपद -सम्मल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में उक्त स्थल श्री मो० रिजवान अंसारी पुत्र श्री मो० रफी, मोहल्ला-हयातनगर, तहसील व जनपद -सम्मल का अद्यतन निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 31.12.2025 को किया गया। मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 06.11.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में उक्त इकाई श्री मो० रिजवान अंसारी पुत्र श्री मो० रफी, मोहल्ला-हयातनगर, तहसील व जनपद -सम्मल के विरुद्ध रु० 27,40,000.00 (सत्ताइस लाख चालीस हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय

संलग्नक: यथोपरि।


07.01.26

(देव कुमार गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी



माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 के अनुपालन में श्री मो० रिजवान अंसारी पुत्र श्री मो० रफी, मोहल्ला-हयातनगर, तहसील व जनपद -सम्भल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में आख्या-

उपरोक्त विषयक श्री मो० रिजवान अंसारी पुत्र श्री मो० रफी, मोहल्ला-हयातनगर, तहसील व जनपद -सम्भल द्वारा उक्त स्थल पर स्थापित/संचालित इकाई/वांशिंग प्लान्ट का अद्यतन निरीक्षण अघोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 31.12.2025 को किया गया (फोटोग्राफ संलग्न)। निरीक्षण के दौरान इकाई स्थल पर इकाई प्रोपराइटर अथवा कोई इकाई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था। निरीक्षण के दौरान इकाई बन्द पायी गयी। कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त इकाई का पूर्व में प्रथम बार निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 21.10.2024 को किया गया था। निरीक्षण के दौरान उक्त इकाई राज्य बोर्ड से बिना स्थापनार्थ सहमति (CTE) प्राप्त किये स्थापित तथा बिना संचालनार्थ सहमति (CTO) प्राप्त किये अवैध रूप से संचालित पायी गयी। उक्त के दृष्टिगत इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या- एच 22410/सी-7/विविध-709/2025 दिनांक 08.01.2025 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया तथा जिलाधिकारी महोदय, सम्भल के कार्यालय आदेश सं० 487/आ.लि.-आ.जि.सं. दिनांक 17.07.2025 द्वारा गठित संयुक्त जॉच कमेटी द्वारा दिनांक 21.07.2025 को इकाई के निरीक्षण के दौरान उपस्थित इकाई प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि इकाई में उत्पादन कार्य बन्द कर दिया गया है। इकाई द्वारा बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में कोई प्रतिउत्तर नहीं दिये जाने के दृष्टिगत उक्त इकाई के विरुद्ध बॉड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र सं० एच 31033/सी-7/विविध- 709/2025 दिनांक 04.08.2025 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत बंदी आदेश जारी किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है। उक्त इकाई वर्तमान में संचालित नहीं है।

उपरोक्तानुसार उक्त इकाई के अवैध संचालन की अवधि दिनांक 21.10.2024 से दिनांक 21.07.2025 तक कुल 274 दिन को डिफाल्टर दिवस मानते हुये केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के पत्र दिनांक 08.02.2019 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुये जारी मार्गदर्शिका के अनुसार उक्त इकाई/श्री मो० रिजवान अंसारी पुत्र श्री मो० रफी, मोहल्ला-हयातनगर, तहसील व जनपद -सम्भल के विरुद्ध नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की जाती है-

$$\text{Penalty/E.C. in (RS.)} = PI \times N \times RS \times LF$$

Where

$$PI = \text{Pollution Index of industrial section (Since the Category Red)} = 80$$

$$N = \text{Number of days of violation took place} = 274$$

$$R = \text{A factor in rupees for penalty} = 250$$

$$S = \text{Factor for scale of opration (small)} = 0.5$$

$$LF = \text{Location Factor (Based on population)} = 1.0$$

$$\text{Penalty/EC} = 80 \times 274 \times 250 \times 0.5 \times 1.0$$

$$= 2740000.00 \text{ only}$$

अतः उपरोक्तानुसार मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 06.11.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में उक्त इकाई/श्री मो० रिजवान अंसारी पुत्र श्री मो० रफी, मोहल्ला-हयातनगर, तहसील व जनपद -सम्भल के विरुद्ध रु० 27,40,000.00 (सत्ताइस लाख चालीस हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

Anil Kumar
07.01.26
(अनिल कुमार)

वैज्ञानिक सहायक


Shuman
07/01/2026
(संताष कुमार)

सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

Shuman
07.01.26

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7), महोदय



मोहम्मद रिजवान अंसारी पुत्र मोहम्मद रफी, मौहल्ला हयातनगर, थाना हयातनगर, जनपद संभल

अक्षान्तर 28.553196 देशांतर 78.571783



क्षेत्रीय कार्यालय
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1-ए/आई.एन.एस.-1, आवास विकास कालोनी, बौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, गुरादाबाद

दिनांक 07 01.2026

पत्र संख्या: 43 / N-13 / 130/25/जवरल

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7),
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।


विषय- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 के अनुपालन में मो० शकील पुत्र मो० रईस, मोहल्ला -हयातनगर, थाना-हयातनगर, तहसील व जनपद -सम्भल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्कम में अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 के अनुपालन में मो० शकील पुत्र मो० रईस, मोहल्ला -हयातनगर, थाना-हयातनगर, तहसील व जनपद -सम्भल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में उक्त स्थल मो० शकील पुत्र मो० रईस, मोहल्ला -हयातनगर, थाना-हयातनगर, तहसील व जनपद -सम्भल का अद्यतन निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 31.12.2025 को किया गया। मो० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 06.11.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में उक्त इकाई मो० शकील पुत्र मो० रईस, मोहल्ला -हयातनगर, थाना-हयातनगर, तहसील व जनपद -सम्भल के विरुद्ध रु० 27,40,000.00 (सत्ताइस लाख चालीस हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।


भवदीय

संलग्नक: यथोपरि।


07.01.26

(देव कुमार गुप्ता)

क्षेत्रीय अधिकारी



माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 के अनुपालन में मो० शकील पुत्र मो० रईस, मोहल्ला -हयातनगर, थाना-हयातनगर, तहसील व जनपद -सम्मल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में आख्या-

उपरोक्त विषयक मो० शकील पुत्र मो० रईस, गोहल्ला -हयातनगर, थाना-हयातनगर, तहसील व जनपद -सम्मल द्वारा उक्त स्थल पर स्थापित/संचालित इकाई/वांशिंग प्लांट का अद्यतन निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 31.12.2025 को किया गया (फोटोग्राफ संलग्न)। निरीक्षण के दौरान इकाई स्थल पर इकाई प्रतिनिधि के रूप में मो० अब्बास उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान इकाई बन्द पायी गयी। कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त इकाई का पूर्व में प्रथम बार निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 21.10.2024 को किया गया था। निरीक्षण के दौरान उक्त इकाई राज्य बोर्ड से बिना स्थापनार्थ सहमति (CTE) प्राप्त किये स्थापित तथा बिना संचालनार्थ सहमति (CTO) प्राप्त किये अवैध रूप से संचालित पायी गयी। उक्त के दृष्टिगत इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या- एच 22131/सी-7/विविध-708/2025 दिनांक 02.01.2025 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया तथा जिलाधिकारी महोदय, सम्मल के कार्यालय आदेश सं० 487/आ.लि.-आ.जि.सं. दिनांक 17.07.2025 द्वारा गठित संयुक्त जॉच कमेटी द्वारा दिनांक 21.07.2025 को इकाई के निरीक्षण के दौरान उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि इकाई में उत्पादन कार्य बन्द कर दिया गया है। इकाई द्वारा बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में कोई प्रतिउत्तर नहीं दिये जाने के दृष्टिगत उक्त इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र सं० एच 31035/सी-7/विविध-708/2025 दिनांक 04.08.2025 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत बंदी आदेश जारी किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है। उक्त इकाई वर्तमान में संचालित नहीं है।

उपरोक्तानुसार उक्त इकाई के अवैध संचालन की अवधि दिनांक 21.10.2024 से दिनांक 21.07.2025 तक कुल 274 दिन को डिफाल्टर दिवस मानते हुये केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के पत्र दिनांक 08.02.2019 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुये जारी मार्गदर्शिका के अनुसार उक्त इकाई मो० शकील पुत्र मो० रईस, मोहल्ला -हयातनगर, थाना-हयातनगर, तहसील व जनपद -सम्मल के विरुद्ध नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की जाती है-

$$\text{Penalty/E.C. in (RS.)} = \text{PI} \times \text{N} \times \text{RS} \times \text{LF}$$

Where

$$\text{PI} = \text{Pollution Index of industrial section (Since the Category Red)} = 80$$

$$\text{N} = \text{Number of days of violation took place} = 274$$

$$\text{R} = \text{A factor in rupees for penalty} = 250$$

$$\text{S} = \text{Factor for scale of opration (small)} = 0.5$$

$$\text{LF} = \text{Location Factor (Based on population)} = 1.0$$

$$\text{Penalty/EC} = 80 \times 274 \times 250 \times 0.5 \times 1.0$$

$$= 2740000.00 \text{ only}$$

अतः उपरोक्तानुसार मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 06.11.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में उक्त इकाई मो० शकील पुत्र मो० रईस, मोहल्ला -हयातनगर, थाना-हयातनगर, तहसील व जनपद -सम्मल के विरुद्ध रु० 27,40,000.00 (सत्ताइस लाख चालीस हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

Anil Kumar
07/01/26
(अनिल कुमार)

वैज्ञानिक सहायक


Santosh Kumar
07/01/26
(संतोष कुमार)

सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

Santosh Kumar
07.01.26

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7), महोदय



शकील पुत्र मोहम्मद रईस, मौहल्ला हयातनगर, थाना हयातनगर, जनपद संभल

अक्षांतर 28.552096 देशांतर 78.580841



क्षेत्रीय कार्यालय
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1-ए/आई.एन.एस.-1, आवास विकास कालोनी, बौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, मुरादाबाद

दिनांक 07.01.2026

पत्र संख्या: 44 / N-13 / 130 / 25 / जनरल

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7),
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 के अनुपालन में मो० जुनैद पुत्र मो० शमशाद, मोहल्ला- हयातनगर, जनपद -सम्भल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्कम में अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 के अनुपालन में मो० जुनैद पुत्र मो० शमशाद, मोहल्ला- हयातनगर, जनपद -सम्भल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में उक्त स्थल मो० जुनैद पुत्र मो० शमशाद, मोहल्ला- हयातनगर, जनपद -सम्भल का अद्यतन निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 31.12.2025 को किया गया। मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 06.11.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में उक्त इकाई मो० जुनैद पुत्र मो० शमशाद, मोहल्ला- हयातनगर, जनपद -सम्भल के विरुद्ध रु० 17,50,000.00 (सत्रह लाख पचास हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय

संलग्नक: यथोपरि।

Kumar
07.01.26

(देव कुमार गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी

de
gupta

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी ब
स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 के अनुपालन में मो० जुनैद पुत्र मो० शमशाद, मोहल्ला-
हयातनगर, जनपद -सम्मल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में आख्या-
उपरोक्त विषयक मो० जुनैद पुत्र मो० शमशाद, मोहल्ला-हयातनगर, जनपद -सम्मल द्वारा उक्त स्थल पर
स्थापित/संचालित इकाई/वांशिंग प्लान्ट का अद्यतन निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 31.12.2025 को किया गया
(फोटोग्राफ संलग्न)। निरीक्षण के दौरान इकाई स्थल पर मो० जुनैद (प्रोपराइटर) उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान इकाई बन्द
पायी गयी। कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त इकाई का पूर्व में प्रथम बार निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 28.01.2025 को
किया गया था। निरीक्षण के दौरान उक्त इकाई राज्य बोर्ड से बिना स्थापनार्थ सहमति (CTE) प्राप्त किये स्थापित तथा बिना
संचालनार्थ सहमति (CTO) प्राप्त किये अवैध रूप से संचालित पायी गयी। उक्त के दृष्टिगत इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय,
लखनऊ के पत्र संख्या- एच 24927/सी-7/विविध-722/2025 दिनांक 28.02.2025 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा
नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया तथा जिलाधिकारी महोदय,
सम्मल के कार्यालय आदेश सं० 487/आ.लि.-आ.जि.सं. दिनांक 17.07.2025 द्वारा गठित संयुक्त जॉच कमेटी द्वारा दिनांक
21.07.2025 को इकाई के निरीक्षण के दौरान उक्त इकाई संचालित पायी गयी। संयुक्त जॉच कमेटी द्वारा इकाई में उत्पादन
कार्य बन्द करा दिया गया। इकाई द्वारा बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में कोई प्रतिउत्तर
नहीं दिये जाने के दृष्टिगत उक्त इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र सं० एच 31037/सी-7/विविध-
722/2025 दिनांक 04.08.2025 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत बंदी
आदेश जारी किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है। उक्त इकाई वर्तमान में संचालित नहीं है।

उपरोक्तानुसार उक्त इकाई के अवैध संचालन की अवधि दिनांक 28.01.2025 से दिनांक 21.07.2025 तक कुल 175
दिन को डिफाल्टर दिवस मानते हुये केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के पत्र दिनांक 08.02.2019 द्वारा पर्यावरणीय
क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुये जारी मार्गदर्शिका के अनुसार उक्त इकाई मो० जुनैद पुत्र मो० शमशाद, मोहल्ला-हयातनगर,
जनपद -सम्मल के विरुद्ध नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की जाती है-

$$\text{Penalty/E.C. in (RS.)} = \text{PI} \times \text{N} \times \text{RS} \times \text{LF}$$

Where

$$\text{PI} = \text{Pollution Index of industrial section (Since the Category Red)} = 80$$

$$\text{N} = \text{Number of days of violation took place} = 175$$

$$\text{R} = \text{A factor in rupees for penalty} = 250$$

$$\text{S} = \text{Factor for scale of operation (small)} = 0.5$$

$$\text{LF} = \text{Location Factor (Based on population)} = 1.0$$

$$\text{Penalty/EC} = 80 \times 175 \times 250 \times 0.5 \times 1.0$$

$$= 1750000.00 \text{ only}$$

अतः उपरोक्तानुसार मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 06.11.2025 को पारित
आदेश के अनुपालन में उक्त इकाई मो० जुनैद पुत्र मो० शमशाद, मोहल्ला-हयातनगर, जनपद -सम्मल के विरुद्ध ₹०
17,50,000.00 (सत्रह लाख पचास हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या आपके
अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

Anil Kumar
07/01/26

(अनिल कुमार)

वैज्ञानिक सहायक

Suman
07/01/2026


(संतोष कुमार)

सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

Kumar
07.01.26

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7), महोदय



मोहम्मद जुनेद पुत्र मोहम्मद शमशाद, मौहल्ला हयातनगर, थाना हयातनगर, जनपद संभल

अक्षान्तर 28.555224 देशांतर 78.57935



क्षेत्रीय कार्यालय
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1-ए/आई.एन.एस.-1, आवास विकास कालोनी, बौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, मुरादाबाद

पत्र संख्या: 45 / N-13 / 130 / 25 / जन२६

दिनांक 07.01.2026

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7),
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।


विषय- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 के अनुपालन में मो० इशितयाक पुत्र मो० मुस्ताक बहजोई रोड, मोहल्ला- हयातनगर, जनपद -सम्मल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में।

महोदय,


कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्कम में अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 के अनुपालन में मो० इशितयाक पुत्र मो० मुस्ताक बहजोई रोड, मोहल्ला- हयातनगर, जनपद -सम्मल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में उक्त स्थल मो० इशितयाक पुत्र मो० मुस्ताक बहजोई रोड, मोहल्ला- हयातनगर, जनपद -सम्मल का अद्यतन निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 31.12.2025 को किया गया। मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 06.11.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में उक्त इकाई मो० इशितयाक पुत्र मो० मुस्ताक बहजोई रोड, मोहल्ला- हयातनगर, जनपद -सम्मल के विरुद्ध रु० 17,50,000.00 (सत्रह लाख पचास हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय

संलग्नक: यथोपरि।


07.01.26

(देव कुमार गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी



माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 के अनुपालन में मो0 इशियाक पुत्र मो0 मुस्ताक बहजोई रोड, मोहल्ला- हयातनगर, जनपद -सम्भल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में आख्या-

उपरोक्त विषयक मो0 इशियाक पुत्र मो0 मुस्ताक, बहजोई रोड, मोहल्ला-हयातनगर, जनपद -सम्भल द्वारा उक्त स्थल पर स्थापित/संचालित इकाई/वांशिंग प्लान्ट का अद्यतन निरीक्षण अधोहरताक्षरकर्ताओ द्वारा दिनांक 31.12.2025 को किया गया (फोटोग्राफ संलग्न)। निरीक्षण के दौरान इकाई स्थल पर इकाई प्रोपराइटर अथवा कोई इकाई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था। निरीक्षण के दौरान इकाई बन्द पायी गयी। कार्यालय अगिलेखानुरार उक्त इकाई का पूर्य में प्रथम बार निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 28.01.2025 को किया गया था। निरीक्षण के दौरान उक्त इकाई राज्य बोर्ड से बिना स्थापनार्थ सहमति (CTE) प्राप्त किये स्थापित तथा बिना संचालनार्थ सहमति (CTO) प्राप्त किये अवैध रूप से संचालित पायी गयी। उक्त के दृष्टिगत इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या- एच 24666/सी-7/विविध-719/2024 दिनांक 25.02.2025 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया तथा जिलाधिकारी महोदय, सम्भल के कार्यालय आदेश सं0 487/आ.लि.-आ.जि.सं. दिनांक 17.07.2025 द्वारा गठित संयुक्त जॉच कमेटी द्वारा दिनांक 21.07.2025 को इकाई के निरीक्षण के दौरान उपस्थित इकाई प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि इकाई में उत्पादन कार्य बन्द कर दिया गया है। इकाई द्वारा बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में कोई प्रतिउत्तर नहीं दिये जाने के दृष्टिगत उक्त इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र सं0 एच 31039/सी-7/विविध- 719/2025 दिनांक 04.08.2025 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत बंदी आदेश जारी किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है। उक्त इकाई वर्तमान में संचालित नहीं है।

उपरोक्तानुसार उक्त इकाई के अवैध संचालन की अवधि दिनांक 28.01.2025 से दिनांक 21.07.2025 तक कुल 175 दिन को डिफाल्टर दिवस मानते हुये केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के पत्र दिनांक 08.02.2019 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुये जारी मार्गदर्शिका के अनुसार उक्त इकाई मो0 इशियाक पुत्र मो0 मुस्ताक बहजोई रोड, मोहल्ला-हयातनगर, जनपद -सम्भल के विरुद्ध नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की जाती है-

$$\text{Penalty/E.C. in (RS.)} = \text{PI} \times \text{N} \times \text{RS} \times \text{LF}$$

Where

PI = Pollution Index of industrial section (Since the Category Red)= 80

N = Number of days of violation took place= 175

R = A factor in rupees for penalty= 250

S = Factor for scale of opration (small)= 0.5

LF = Location Factor (Based on population)= 1.0

Penalty/EC = 80 x 175 x 250 x 0.5 x 1.0

= 1750000.00 only

अतः उपरोक्तानुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 06.11.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में उक्त इकाई मो0 इशियाक पुत्र मो0 मुस्ताक बहजोई रोड, मोहल्ला-हयातनगर, जनपद -सम्भल के विरुद्ध रु0 17,50,000.00 (सत्रह लाख पचास हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

Anil Kumar

(अनिल कुमार)

वैज्ञानिक सहायक

Suman

(संतोष कुमार)

सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

Kumar

07.01.26



मोहम्मद इश्तियाक पुत्र मोहम्मद मुस्ताक, यहजोई रोड, हयातनगर, जनपद संभल

अक्षांतर 28.553901 देशांतर 78.583989



क्षेत्रीय कार्यालय
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1-ए/आई.एन.एस.-1, आवास विकास कालोनी, बौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, मुरादाबाद

पत्र संख्या: 39 / N-13 / 130 / 25 / जन२५

दिनांक 07.01.2026

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7),
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।


विषय— माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 के अनुपालन में हाजी शाह आलम पुत्र मो० काफिल, मोहल्ला-कटरा, हयातनगर, जनपद -सम्मल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में।


महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्कम में अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 के अनुपालन में हाजी शाह आलम पुत्र मो० काफिल, मोहल्ला-कटरा, हयातनगर, जनपद -सम्मल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में उक्त स्थल हाजी शाह आलम पुत्र मो० काफिल, मोहल्ला-कटरा, हयातनगर, जनपद -सम्मल का अद्यतन निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 31.12.2025 को किया गया। मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 06.11.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में उक्त इकाई हाजी शाह आलम पुत्र मो० काफिल, मोहल्ला-कटरा, हयातनगर, जनपद -सम्मल के विरुद्ध रु० 27,40,000.00 (सत्ताइस लाख चालीस हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय

संलग्नक: यथोपरि।


07.01.26
(देव कुमार गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी



माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 के अनुपालन में हाजी शाह आलम पुत्र मो० काफिल, मोहल्ला-कटरा, हयातनगर, जनपद -सम्मल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में आख्या-

उपरोक्त विषयक हाजी शाह आलम पुत्र मो० काफिल, मोहल्ला-कटरा, हयातनगर, जनपद -सम्मल द्वारा उक्त स्थल पर स्थापित/संचालित इकाई/वांशिंग प्लान्ट का अद्यतन निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 31.12.2025 को किया गया (फोटोग्राफ संलग्न)। निरीक्षण के दौरान इकाई स्थल पर इकाई प्रोपराइटर अथवा कोई इकाई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था। निरीक्षण के दौरान इकाई बन्द पायी गयी। कार्यालय अगिलेखानुसार उक्त इकाई का पूर्व में प्रथम बार निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 21.10.2024 को किया गया था। निरीक्षण के दौरान उक्त इकाई राज्य बोर्ड से बिना स्थापनार्थ सहमति (CTE) प्राप्त किये स्थापित तथा बिना संचालनार्थ सहमति (CTO) प्राप्त किये अवैध रूप से संचालित पायी गयी। उक्त के दृष्टिगत इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या- एच 22411/सी-7/विविध-711/2025 दिनांक 08.01.2025 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया तथा जिलाधिकारी महोदय, सम्मल के कार्यालय आदेश सं० 487/आ.लि.-आ.जि.सं. दिनांक 17.07.2025 द्वारा गठित संयुक्त जॉच कमेटी द्वारा दिनांक 21.07.2025 को इकाई के निरीक्षण के दौरान उक्त इकाई संचालित पायी गयी। संयुक्त जॉच कमेटी द्वारा इकाई में उत्पादन कार्य बन्द करा दिया गया। इकाई द्वारा बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में कोई प्रतिउत्तर नहीं दिये जाने के दृष्टिगत उक्त इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र सं० एच 31042/सी-7/विविध-711/2025 दिनांक 04.08.2025 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत बंदी आदेश जारी किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है। उक्त इकाई वर्तमान में संचालित नहीं है।

उपरोक्तानुसार उक्त इकाई के अवैध संचालन की अवधि दिनांक 21.10.2024 से दिनांक 21.07.2025 तक कुल 274 दिन को डिफाल्टर दिवस मानते हुये केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के पत्र दिनांक 08.02.2019 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुये जारी मार्गदर्शिका के अनुसार उक्त इकाई हाजी शाह आलम पुत्र मो० काफिल, मोहल्ला-कटरा, हयातनगर, जनपद -सम्मल के विरुद्ध नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की जाती है-

$$\text{Penalty/E.C. in (RS.)} = \text{PI} \times \text{N} \times \text{RS} \times \text{LF}$$

Where

PI = Pollution Index of industrial section (Since the Category Red)= 80

N = Number of days of violation took place= 274

R = A factor in rupees for penalty= 250

S = Factor for scale of opration (small)= 0.5

LF = Location Factor (Based on population)= 1.0

$$\text{Penalty/EC} = 80 \times 274 \times 250 \times 0.5 \times 1.0$$

$$= 2740000.00 \text{ only}$$

अतः उपरोक्तानुसार मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 06.11.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में उक्त इकाई हाजी शाह आलम पुत्र मो० काफिल, मोहल्ला-कटरा, हयातनगर, जनपद -सम्मल के विरुद्ध रु० 27,40,000.00 (सत्ताइस लाख चालीस हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

Anil Kumar
(अनिल कुमार)

वैज्ञानिक सहायक

Suman
07/01/2026
(संतोष कुमार)

सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

Suman
07.01.26

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7), महोदय



हाजी शाह आलम पुत्र मोहम्मद काफिल, मौहल्ला कटरा, हयातनगर, जनपद संभल

अक्षांतर 28.559344 देशांतर 78.563254



क्षेत्रीय कार्यालय
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1-ए/आई.एन.एस.-1, आवास विकास कालोनी, बौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, मुरादाबाद

पत्र संख्या: 42/N-13/130/25/अव२ल

दिनांक 7 01.2026

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7),
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।


विषय- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 के अनुपालन में श्री शकील अहमद पुत्र मो० अलीमुद्दीन एवं मो० तालिब पुत्र मो० अब्दुल कलीम, मोहल्ला-सरायतरीन, थाना-हयातनगर, जनपद -सम्भल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में।

महोदय,


कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्कम में अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) वरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 के अनुपालन में श्री शकील अहमद पुत्र मो० अलीमुद्दीन एवं मो० तालिब पुत्र मो० अब्दुल कलीम, मोहल्ला-सरायतरीन, थाना-हयातनगर, जनपद -सम्भल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में उक्त स्थल श्री शकील अहमद पुत्र मो० अलीमुद्दीन एवं मो० तालिब पुत्र मो० अब्दुल कलीम, मोहल्ला-सरायतरीन, थाना-हयातनगर, जनपद -सम्भल का अद्यतन निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 31.12.2025 को किया गया। मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 06.11.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में उक्त इकाई श्री शकील अहमद पुत्र मो० अलीमुद्दीन एवं मो० तालिब पुत्र मो० अब्दुल कलीम, मोहल्ला-सरायतरीन, थाना-हयातनगर, जनपद -सम्भल के विरुद्ध रु० 27,40,000.00 (सत्ताइस लाख चालीस हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय


07.01.26

(देव कुमार गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी



माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. -130/2025 (I.A. No. -224/2025) यरुण गुलाटी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.11.2025 के अनुपालन में श्री शकील अहमद पुत्र मो० अलीमुद्दीन एवं मो० तालिब पुत्र मो० अब्दुल कलीम, मोहल्ला-सरायतरीन, थाना-हयातनगर, जनपद -सम्भल के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना किये जाने के संबंध में आख्या-

उपरोक्त विषयक श्री शकील अहमद पुत्र मो० अलीमुद्दीन एवं मो० तालिब पुत्र मो० अब्दुल कलीम, मोहल्ला-सरायतरीन, थाना-हयातनगर, जनपद -सम्भल द्वारा उक्त स्थल पर स्थापित/संचालित इकाई/वाशिंग प्लांट का अद्यतन निरीक्षण अधोहरताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 31.12.2025 को किया गया (फोटोग्राफ संलग्न)। निरीक्षण के दौरान इकाई स्थल पर इकाई प्रोपराइटर अथवा कोई इकाई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था। निरीक्षण के दौरान इकाई बन्द पायी गयी। कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त इकाई का पूर्व में प्रथम बार निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 21.10.2024 को किया गया था। निरीक्षण के दौरान उक्त इकाई राज्य बोर्ड से बिना स्थापनार्थ सहमति (CTE) प्राप्त किये स्थापित तथा बिना संचालनार्थ सहमति (CTO) प्राप्त किये अवैध रूप से संचालित पायी गयी। उक्त के दृष्टिगत इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या- एच 23986/सी-7/विविध-715/2024 दिनांक 10.02.2025 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया तथा जिलाधिकारी महोदय, सम्भल के कार्यालय आदेश सं० 487/आ.लि.-आ.जि.सं. दिनांक 17.07.2025 द्वारा गठित संयुक्त जांच कमेटी द्वारा दिनांक 21.07.2025 को इकाई के निरीक्षण के दौरान उक्त इकाई संचालित पायी गयी। संयुक्त जांच कमेटी द्वारा इकाई में उत्पादन कार्य बन्द करा दिया गया। इकाई द्वारा बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में कोई प्रतिउत्तर नहीं दिये जाने के दृष्टिगत उक्त इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र सं० एच 31043/सी-7/विविध- 715/2025 दिनांक 04.08.2025 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत बंदी आदेश जारी किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है। उक्त इकाई वर्तमान में संचालित नहीं है।

उपरोक्तानुसार उक्त इकाई के अवैध संचालन की अवधि दिनांक 21.10.2024 से दिनांक 21.07.2025 तक कुल 274 दिन को डिफाल्टर दिवस मानते हुये केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के पत्र दिनांक 08.02.2019 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुये जारी मार्गदर्शिका के अनुसार उक्त इकाई श्री शकील अहमद पुत्र मो० अलीमुद्दीन एवं मो० तालिब पुत्र मो० अब्दुल कलीम, मोहल्ला-सरायतरीन, थाना-हयातनगर, जनपद -सम्भल के विरुद्ध नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की जाती है-

$$\text{Penalty/E.C. in (RS.)} = \text{PI} \times \text{N} \times \text{RS} \times \text{LF}$$

Where

PI = Pollution Index of industrial section (Since the Category Red)= 80

N = Number of days of violation took place= 274

R = A factor in rupees for penalty= 250

S = Factor for scale of opration (small)= 0.5

LF = Location Factor (Based on population)= 1.0

$$\text{Penalty/EC} = 80 \times 274 \times 250 \times 0.5 \times 1.0$$

$$= 2740000.00 \text{ only}$$

अतः उपरोक्तानुसार मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 08.11.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में उक्त इकाई श्री शकील अहमद पुत्र मो० अलीमुद्दीन एवं मो० तालिब पुत्र मो० अब्दुल कलीम, मोहल्ला-सरायतरीन, थाना-हयातनगर, जनपद -सम्भल के विरुद्ध रु० 27,40,000.00 (सत्ताइस लाख चालीस हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

Anil Kumar
07.01.26

(अनिल कुमार)

वैज्ञानिक सहायक


Suman
07.01.26

(संतोष कुमार)

सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

Suman
07.01.26



शकील अहमद पुत्र मोहम्मद अलीमुद्दीन एवं मोहम्मद तालिफ पुत्र मोहम्मद कलीम, मौहल्ला सरायतरीन,
थाना हयातनगर, जनपद संभल

अक्षान्तर 28.560682 देशांतर 78.563985